कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 70 /FP/UK/ROAD/22108/2016 :देहरादून:दिनांक: 10 जुलाई, 2017

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
कर्णप्रयाग।

विषयः– जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली–जेंटा–कोटी–ग्वालखेत–पेंखोली मोटर मार्ग का बेनीताल तक विस्तारीकरण हेतु 3.606 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–आपका पत्रंक 1319/10 एल0ए0 दिनांक 08–06–2017

महोदय,

आपके उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का परीक्षण करने पर कतिपय कमियाँ पायी गयी, जो निम्नानुसार हैं :–

1. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र–1 में दिनांक व स्थान की सूचना अंकित की जाय।
2. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र–2 व वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र–3 को भरवाकर संलग्न करें।
3. एफ0आर0ए0 मूल प्रति में एवं प्रस्ताव के अनुसार तीन ग्रामों की अनापत्ति एवं उपस्थिति संलग्न करें।
4. प्रस्ताव में संलग्न लम्बाई X चौडाई प्रमाण–पत्र में मलवा निस्तारण हेतु क्षेत्रफल को भी भूमि के प्रकार सहित उल्लेख करें।
5. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित वर्तमान दर से संलग्न की जाय।
6. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने प्रमाण–पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।
7. वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम भी अंकित किया जाय।
8. बांज वृक्ष प्रभावित होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण आख्या संलग्न करें।
9. मलवा निस्तारण हेतु भूमिदर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के मध्य हुये अनापत्ति अनुबन्ध को प्रस्ताव में संलग्न करें।
10. एन0पी0वी0 का आंकलन धनत्व, ईको–क्लास एवं दर के अनुसार बनाकर संलग्न करें।
11. प्रस्ताव की मूल प्रति में सभी प्रमाण–पत्र मूल में संलग्न करें एवं छायाप्रतियों को सत्यापित कर संलग्न किया जाय।

अतः उपरोक्त कमियों के निराकरण करने हेतु अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवे एवं उपरोक्त के अतिरिक्त प्रस्ताव पर ऑनलाईन भरे जाने वाले कतिपय कमियों को भी पूर्ण किया जाय। प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें तथा पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा। इस कार्यालय को प्रेषित ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रस्ताव में उक्त कमियों का निराकरण करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्याः– 70 / FP/UK/ROAD/22108/2016 दिनॉकित

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रस्ताव की 3 प्रतियाँ प्राप्त की।
11/8/17

(विनोद कुमार)